झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा

पंचदश (बजट)–सत्र

वर्ग–02

09 माघ, 1940 (श0)

निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक–..... को 29 जनवरी,2019 (ई0)

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभाग को संसूचित की गई सा0सं0	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
60.	अ0सू0–15	श्री अरूप चटर्जी	शिक्षकों की नियुक्ति करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	19.01.19
61.	अ0सू0–16	श्री सुखदेव भगत	मैट्रीक का बेहतर रिजल्ट देना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	19.01.19
62.	अ0सू0–17	श्री प्रदीप यादव	नये पेड़ लगाना	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	20.01.19
63.	अ0सू0–18	श्री आलमगीर आलम	रिक्त सीटों पर सीधी भर्त्ती करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	20.01.19

राँची
दिनांक–29 जनवरी,2019 (ई0)

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04/2015–935/वि0स0, राँची, दिनांक–28/1/19

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

28.01.19

(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04/2015–935/वि0स0, राँची, दिनांक–28/1/19

प्रतिलिपि :– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव, (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

28.01.19

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04/2015–935/वि0स0, राँची, दिनांक–28/1/19

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा, प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

28.01.19

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

27/01/19

60

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री अरूप चटर्जी, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-15

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के इंटर प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति वर्ष 2015-16 में 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ न लेकर योग्यता एवं अहर्ता के आधार पर गैर-पारा कोटि (अनारक्षित कोटि) के अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विभिन्न जिलों के मेधा सूची में नाम प्रकाश किये जाने के बाद ऐसे राज्य के लगभग 700 अभ्यर्थियों को पारा शिक्षक होने के कारण कांउसिलिंग/नियुक्ति से वंचित कर दिया था;	वस्तुस्थिति यह है कि नियुक्ति हेतु जिलों को प्रेषित विज्ञापन प्रारूप की कंडिका-12 के अनुसार सीधी नियुक्ति हेतु चिन्हित रिक्तियों में से 50 प्रतिशत पद झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत ऐसे DPE (डी.पी.ई.) अहर्ताधारी पारा शिक्षक, जिनकी सेवा उस पंचाग वर्ष, जिसमें नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी, की पहली अगस्त को न्यूनतम दो वर्ष या उससे अधिक की हो, में से तथा शेष 50 प्रतिशत पद गैर-पारा शिक्षक अहर्ताधारी आवेदकों में से भरा जायेगा। जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्लू.पी. (एस.) संख्या. 178/2016 मुनचून अंसारी एवं अन्य.बनाम.राज्य सरकार एवं अन्य में अपने आदेश दिनांक 01.02.2018 द्वारा बरकरार रखा गया था।
3.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त इंटर प्रशिक्षित शिक्षक वर्ष 2015-16 में गैर.पारा कोटि में नियुक्ति से वंचित 700 पारा शिक्षकों के नियुक्ति के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित आदेश एल.पी.ए. 186/2017-11 मई, 2018 सहित 50 आदेश के छः माह बितने के बावजूद अब तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के न्यायनिदेश को लागू करने हेतु आवश्यक औपचारिकताएँ प्रक्रियाधीन है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उपर्युक्त 700 वंचित शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में सन्निहित है।

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/व2-39/18-186 राँची, दिनांक 28/01/2019

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 570, दिनांक 19.01.2019 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुमोदित 28/1/19

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(62)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–29.01.2019 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–17 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि मंडल डैम (पलामू) के निर्माण में 3.44 लाख पेड़ काटने होंगे की बात दिनांक–05.12.2018 को हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य बनने के बाद 2001 से 2018 तक सड़क चौड़ीकरण, कोल उत्खनन परियोजना, पावर प्लांट एवं अन्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन में 1 करोड़ से अधिक पेड़ों की कटाई हुई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य गठन से अब तक वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु हुए वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति के क्रम में वृक्षों के पातन की अनुमति वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् प्रदान की गयी है। वन भूमि अपयोजन के विरूद्व प्राप्त राशि से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुरूप CAMPA मद के अन्तर्गत कुल–29,082 हे0 वन भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें लगभग 9.9 करोड़ पौधे लगाए गए है। इसके अतिरिक्त गैर वन भूमि पर वृक्षों के पातन की अनुमति के क्रम में एक वृक्ष के बदले कम से कम तीन वृक्ष लगाने की शर्त्त लगायी जाती है।
(3) क्या यह बात सही है कि इन पेड़ों की कटाई से जलवायु एवं पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;	वृक्षों की कटाई का कुप्रभाव जलवायु एवं पर्यावरण पर पड़ने से इन्कार नही किया जा सकता है। परन्तु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् वन भूमि पर गैर वानिकी उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करते समय परियोजना खर्च पर उचित उपचारात्मक उपाय भी किए जाते हैं ताकि पर्यावरण पर पड़ने वाले कुप्रभाव को कम से कम रखा जा सके। इसके अतिरिक्त राज्य योजना से वन भूमि पर एवं गैर वन भूमि पर प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाता है। विगत तीन वर्षों में इस योजना के तहत् 756 लाख पौधो का रोपण किया गया है एवं 9950 हे0 वन भूमि पर प्राकृतिक पुनर्जनन के कार्य भी कराए गए हैं।
(4) यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मिशन मोड (MODE) में कटे हुए पेड़ों के बदले नए पेड़ लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–20/2019–426 व0प0, राँची, दिनांक– 28/01/2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–666 दिनांक– 20.01.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/1/19

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

VIDHAN SABHA-2019 V.K

(63)

337
28/01/2019

श्री आलमगीर आलम, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-18

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्ते नियमावली, 2015 के अध्याय 6 के कंडिका 9(1) में स्पष्ट अंकित है कि प्रारम्भिक विद्यालयों के लिए 25% आरक्षित सीट खाली रहने पर उन खाली सीटों को वर्तमान बहाली से सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा ;	अद्यतन वस्तुस्थिति निम्न है :-
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित प्रावधन का अनुपालन नहीं करने से राज्य में प्रारम्भिक विद्यालयों के लिए आरक्षित 4500 सीट खाली है, जबकि सीधी भर्ती के योग्य अभ्यर्थी उपलबध हैं;	कंडिका-01 में स्थिति स्पष्ट की गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित नियमावली के अध्याय 6 के कंडिका 9(1) का अनुपालन कर प्रारम्भिक विद्यालयों के लिए 25% आरक्षित खाली सीटों पर वर्तमान बहाली से सीधी भर्ती के योग्य अभ्यर्थियों से भरने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका-01 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

क्र0	जिला का नाम	सीधी 75% पद संख्या	JSCC द्वारा अनुशंसित संख्या
1	दुमका	657	409
2	जामताड़ा	376	219
3	पाकुड़	349	227
4	साहेबगंज	444	242
5	गोड्डा	694	384
6	देवघर	515	282
7	लातेहार	419	211
कुल		**3454**	**1974**

उक्त से स्पष्ट है कि सीधी नियुक्ति के लिए चिन्हित पदों के विरूद्ध मात्र 57.15% ही सुयोग्य अभ्यर्थी प्राप्त है। इस तरह सीधी नियुक्ति के पद ही नहीं भरे है। वैसे स्थिति में अन्य श्रेणी में चयन का प्रश्न ही नहीं उठता है।

28/01/2019
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-10/वि.स.01-28/2019 337 राँची, दिनांक 28/01/2019

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/01/2019
सरकार के अवर सचिव।